कोटा विश्वविद्यालय कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

क्रमांकः एफ 4 ( )/सा0प्र0/निविदा/को0वि0को0/2016/1992 दिनांक 01/06/16

निविदा सूचना

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015 की विभिन्न परीक्षाओं में काम में ली हुई उत्तरपुस्तिकाये , प्रश्न पत्र, ओ.एम.आर. शीट्स , टाट के खाली कट्टे , कागज की कतरन एवं समाचार पत्र आदि के विक्रय हेतु ऐसी कागज निर्माता फर्मो से जिनके पास एक ट्रक उत्तर पुस्तिकाओं को गलाकर एक दिवस में लुगदी बनाने की सुविधा हो, से मोहरबंद निविदाएं दिनांक 17/06/16 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा प्रपत्र मय शर्तो के विश्वविद्यालय परिसर में स्थित यूनियन बैंक से रू. 1050/- डी. डी. से डाक द्वारा भुगतान कर कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। निविदा एवं निविदा शर्तो की जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट www.uok.ac.in. पर अथवा स्टेट पब्लिक प्रोक्यूरमेन्ट पोरटल sppp.raj.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

कुलसचिव

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा सूचना संख्या –एफ –4 ( ) /सा.प्र./निविदा/कोविको/2016/1992 दिनांक 01/06/16

निविदा प्रपत्र

मूल्य –रू. 1000/–(नकद)
पंजीयन डाक द्वारा – रू.1050/–(डी.डी. द्वारा)
धरोहर राशि – रू. 60000/–(साठ हजार रू. मात्र)

निविदा बिक्री की अन्तिम तिथि – दिनांक 17/06/16 दोपहर 1 बजे तक
निविदा जमा कराने की तिथि– दिनांक 17/06/16 दोपहर 2 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि – दिनांक 17/06/13 अपरान्ह 3 बजे तक
धरोहर राशि बैक ड्राफ्ट द्वारा जो कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पक्ष में देय हो। चैक स्वीकार्य नही होगा।

वर्ष 2015 की विभिन्न परीक्षाओं की काम में ली हुई उत्तरपुस्तिकाओं , ओ.एम.आर. शीट्स , टाट के खाली कट्टे एवं कागज की कतरन आदि के विक्रय हेतु निविदा

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली कागज निर्माता फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ....
2. आर.एस.टी. न.– ....
   सी.एस.टी. न.– ....
3. दूरभाष न. अ – प्रतिष्ठान – ....
   ब – निवास – ....
   स – मोबाईल न.– ....
4. प्रोपराईटर / अधिकृत प्रतिनिधि का नाम जिससे सम्पर्क किया जा सके । ....
5. क्या फर्म निविदा सूचना की समस्त शर्तो का पालन करने के लिये सहमत है। ....
6. क्या निविदादाता फर्म का कागज /कागज की लुगदी बनाने का स्वयं का कारखाना है, यदि हॉ तो उसकी क्षमता एवं वार्षिक टर्न ओवर का विवरण अंकित करें। ....
7. कागज निर्माता फर्म की उत्तरपुस्तिकाओं को लुगदी में परिवर्तित करने की क्षमता ....

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कोटा विश्वविद्यालय – कोटा

निविदा एवं संविदा की शर्ते एवं प्रतिबन्ध

1. दरे प्रति क्विंटल के हिसाब से अंकित की जानी चाहिये एवं अंको तथा शब्दो दोनो में ही लिखी जानी चाहिये। इस कार्यालय द्वारा भेजे गये टेण्डर फार्म के अलावा किसी दूसरे पत्र में अंकित दरे स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. टेण्डर ,मोहरबन्द लिफाफे में धरोहर राशि रू. 60000/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ दिनांक 17/06/2016 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पास पहुंच जाने चाहिये। धरोहर राशि कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम से बैंक ड्राफ्ट सें जमा करायी जानी चाहिये । डिमाण्ड ड्राफ्ट , कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के पक्ष में बनवा कर निविदा के साथ संलग्न करे। चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पूर्व में जमा धरोहर राशि यदि कोई हो तो इस निविदा के लिये मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. कुलसचिव को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी टेण्डर को बिना कोई कारण बताये आंशिक अथवा पूर्ण रूप से स्वीकृत अथवा निरस्त कर दें अथवा उपयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओ को बिना कोई कारण पूर्ण अथवा किश्तो में बेचा जा सकता है अथवा बेचना स्थगित भी किया जा सकता है।
4. विश्वविद्यालय द्वारा दरे स्वीकृत किये जाने पर सम्पूर्ण माल आदेश की तारिख से 20 दिन के अन्दर उठा लेना होगा। इस अवधि में अवकाश के दिन भी शामिल है। निर्धारित अवधि में माल न उठाने पर गोदाम (स्थान) किराया नीचे लिखे अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। यह राशि सिक्यूरिटी राशि में से काट ली जावेगी।

क्र.सं.	बिलम्ब	गोदाम किराया
01	प्रथम सात दिन की देरी पर	रू. 250/– प्रतिदिन
02	द्वितीय सात दिन की देरी पर	रू. 500/– प्रतिदिन
03	20 दिन की देरी पर	रू. 750/– प्रतिदिन

5. जिनकी दरे स्वीकार होगी, उनको अनुमोदित कुल मूल्य की चौथाई राशि कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नाम बैंक ड्राफ्ट से सिक्यूरिटी मनी (प्रतिभूति राशि) के रूप में दर स्वीकृत की सूचना मिलने के सात दिन में आवश्यक रूप से जमा करानी होगी एवं निर्धारित प्रपत्र में रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा। सफल निविदादाता को प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त सामग्री उठाते समय प्रत्येक लॉट की कीमत विश्वविद्यालय की लेखा शाखा में जमा करानी होगी। कीमत पूर्ण जमा होने पर ही माल उठा सकेगा। प्रतिभूति राशि का समायोजन किसी भी लॉट या अन्तिम लॉट की कीमत में नहीं किया जावेगा तथा प्रतिभूति राशि शर्त सं. 23 के अनुसार ही लौटाई जावेगी।
   टेण्डर स्वीकृति के पश्चात् सफल निविदाकार करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार के विफल रहने को निबंधनो तथा शर्तो का भंग होना माना जावेगा तथा धरोहर/प्रतिभूति अथवा दोनो राशि जब्त की ली जावेगी। तदोपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदाकार को कार्यादेश देने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
6. स्वीकृति पर सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित अवधि 20 दिन में माल उठाने पर कुलसचिव को यह अधिकार होगा कि पुनः निविदा आंमत्रित कर अथवा अन्य निविदादाता को माल बेच सके। इस प्रकार के विक्रय से यदि कोई हानि होती है तो हानि की रकम दोषी निविदादाता की जमा धरोहर/राशि अथवा दोनो से वसूल कर ले।
7. यदि इस माल के अलावा कोई अन्य सामान बाद में बेचने लायक हुआ तो उसे मौके पर ही बतला दिया जावेगा तथा निविदादाता उनकी भी दरे निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व दे सकेंगे।
8. माल भरवाने से पूर्व खाली बोरे तुलवाने होगें। माल की वजनी तादाद दी गई है वह अन्दाजन है। माल कम या अधिक हो सकता है। माल उठाने एवं तुलवाने का व्यय फर्म को ही वहन करना होगा।
9. उपयोग में ली हुई उत्तर पुस्तिकाओ का निरीक्षण इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवस में (प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक) सहायक कुलसचिव, सामान्य प्रशासन/अनुभागाधिकारी गोपनीय से अनुमति प्राप्त कर विश्वविद्यालय की गोपनीय शाखा में कर सकते है।
10. किसी भी प्रकार की विवादास्पद स्थिति में कुलपति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। कानूनी कार्यवाही की स्थिति में राजस्थान में कोटा स्थित न्यायालय ही क्षेत्राधिकार रहेगा।
11. उपरोक्त शर्तो के अलावा/विपरीत निविदादाता द्वारा निविदा में जोड़ी गई कोई भी अन्य शर्त कतई मान्य नहीं होगी। सशर्त निविदा भी स्वीकार नहीं होगी।
12. विक्रय राशि पर बिक्री कर व अधिभार (बिक्री कर पर) विश्वविद्यालय में माल उठाने से पूर्व नियमानुसार प्रचलित दर के हिसाब से राजकोष में जमा कराने के लिए विश्वविद्यालय में अलग से जमा कराना होगा।

13. प्रयोग में ली गई उत्तर पुस्तिकाओ का विक्रय अधिकतम दर पर करने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।
14. निविदा उन फर्मो/व्यापारियो द्वारा ही दी जानी है जो या तो उन वस्तुओ के लिए रजिस्टर्ड/अनुमोदित क्रेता हो, जिसके लिए निविदा की जा रही है , वास्तव में व्यवसाय कर रहा हो तथा फर्म के पास आर.एस. टी./सी.एस.टी नम्बर का होना अनिवार्य है।
15. निविदाकार अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगाऔर न आगे किसी को निविदा दे सकेगा।
16. राजकीय निगम/कंपनी/उपक्रम/बोर्ड/राजकीय विभाग को धरोहर एवं प्रतिभूति राशि को जमा कराने से छूट प्राप्त है। S.S.I. Units को Preference of Industries of Raj. Rules 1995 में अंकितानुसार सीमा तक ही छूट देय होगी।
17. निविदादाता द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि असफल निविदादाता को दरे स्वीकृत होने के एक माह के भीतर लौटा दी जावेगी। किन्तु सफल निविदादाता को धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के एक भाग के रूप में मान लिया जावेगा।
18. निविदाकार को निविदा एवं संविदा की शर्तो एवं प्रतिबन्ध की स्वीकृति के प्रतीकस्वरूप निविदा के प्रपत्र एवं निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ के अन्त में हस्ताक्षर करने है।
19. निविदादाता माल (उत्तरपुस्तिकाओ के बण्डल, प्रिन्टेड मैटर के बण्डल तथा अन्य प्रिन्टेड मैटर सामग्री) देखकर व माल के वनज का अन्दाजा लगा कर टेण्डर दे। समस्त माल जिस स्थिति में जहाँ–जहाँ पर भी है कार्यालय से पूरा उठाना होगा। टेण्डर खुलने पर इस पर ध्यान नहीं दिया जावेगा कि अमुक माल ऊपर से अच्छा है और नीचे से खराब है।
20. परीक्षा की साबुत उत्तरपुस्तिकाए आदि फर्म के द्वारा पल्प बनवाने हेतु सीधे मिल को भिजवाना होगा एवं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उत्तर पुस्तिकाओ को गलाकर पल्प में परिणित करना होगा तथा प्रमाण पत्र देना होगा कि समस्त सामग्री का पल्प मिल में बनवा दिया गया है। यदि उत्तरपुस्तिकायें बाजार में विक्रय हेतु पाई गई तो संबंधित फर्म के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
21. फर्म को नवीनतम आयकर शोधन एवं बिक्री कर शोधन प्रमाण पत्र संबंधित सर्किल अधिकारी का निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा प्राप्त होने पर वह अस्वीकृत की जा सकती है।
22. निबंधनो तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असंतोषप्रद ढंग से पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा पूर्णतः या अंशतः प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस सबंध में विश्वविद्यालय का विनिश्चय ही अंतिम होगा।
23. सफल निविदादाता को प्रतिभूति की राशि (यदि उसमें धरोहर राशि भी सम्मिलित की हुई है) संविदा के पूर्ण होने के पश्चात् समस्त संबंधितो से संतोषप्रद माल उठाने की सूचना व शर्त संख्या 20 के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर एक माह बाद लौटा दी जावेगी। ऐसी प्रतिभूति राशि पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
24. नेगोसियेशन के अन्तर्गत यदि निविदाकार मूल निविदा में अंकित दरो से कम दरे अंकित करते है अथवा कोई नई शर्त रखते है तो समिति को यह अधिकार होगा कि वह मूल निविदा की दरो को विश्वविद्यालय नियम के तहत स्वीकार कर ले। यदि नेगोसियेशन में मूल निविदा में अंकित दरो से अधिक दरे आती है तो समिति अधिक दरो को स्वीकार करने के लिए अधिकृत होगी।
25. निविदाकार को अपने कार्यालय व गोदाम के भू–गृह आदि का पूरा पता निश्चित रूप से देना चाहिए ताकि वहां जाकर निरिक्षण किया जा सके और उस व्यक्ति का नाम, पता व फोन नं. भी अवश्य दे जिससे इस कार्य हेतु सम्पर्क किया जा सके। ऐसे व्यापारियो जिन्होने कारोबार नया ही शुरू किया हो उनके लिए अपने बैंकरो का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
26. समस्त उत्तर पुस्तिकाओ को उठाने के बाद कि अब कोई उत्तर पुस्तिका उठाना शेष नहीं है इस आशय का प्रमाण–पत्र परीक्षा नियन्त्रक से प्राप्त कर सामानय विभाग में प्रस्तुत करने पर ही कार्य पूर्ण माना जावेगा।
27. विक्रय की गई उत्तर पुस्तिाकओ का परिवहन अनुमोदित क्रेता को पूर्ण सावधानी के साथ इस प्रकार करना होगा कि समस्त उत्तर पुस्तिकायें विश्वविद्यालय परिसर में उठाये जाने के बाद सीधे मिल में ही पहुँचे, साथ ही उत्तर पुस्तिकाओ को मजबूत त्रिपाल आदि से चारो तरफ से इस ढ़ंग से मजबूती से कवर्ड करना होगा ताकि परिवहन के दौरान मार्ग में कही पर भी उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकायें गिरने नहीं पावें। यदि मार्ग में कहीं पर भी उत्तरपुस्तिका/उत्तरपुस्तिकाओ के गिरने की रिपोर्ट/जानकारी विश्वविद्यालय को आती/होती है तो निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए निविदादाता स्वयं ही उत्तरदायी होगा।
28. स्वीकृत निविदाकार को रद्दी का तौल विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त तौल समिति के सदस्यो की उपस्थिति में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार धर्म काटे पर करवाना होगा तथा प्रत्येक बार तौल के आधार पर कुल राशि उसी दिन विश्वविद्यालय में जमा करानी होगी, साथ ही नियमानुसार लागू बिक्रीकर भी जमा कराना

होगा। आवश्यकता हुई तो रद्दी का तौल दो कांटो पर भी करवाया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अधिक तौल/वजन वाला कांटा मान्य होगा।

29. किसी भी शर्त में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से शिथिलता प्रदान करने का अधिकार कुलपति को आरक्षित है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

पता– ....

....

....

कोटा विश्वविद्यालय – कोटा

वित्तीय निविदा प्रपत्र

आइटम का विविरण	मात्रा / संख्या अनुमानित	निविदादाता द्वारा अधिकतम बिक्री दर प्रति क्वि. (समस्त कर सहित)
1. 2015 में विभिन्न परीक्षाओ में काम में ली हुई उत्तरपुस्तिकाये	750 क्विटल	.... प्रति क्विटल
2. ओ.एम.आर. शीट्स	210 क्विटल	.... प्रति क्विटल
3. टाट के खाली कट्टे	50 क्विटल	.... प्रति क्विटल
4. कागज की कतरन	40 क्विटल	.... प्रति क्विटल
5. पुराने समाचार पत्र / पत्रिकायें	40 क्विटल	.... प्रति क्विटल
6. प्रश्न–पत्र	210 क्विटल	.... प्रति क्विटल

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर